ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 13, Issue 8, Aug 2023 Impact Factor 8.232 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

भारत में निशुल्क विधिक सहायता और विधिक साक्षरता मिशन का मूल्यांकन:

शोध सारांश: भारत एक आधुनिक राज्य है जिसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया है| इसलिए इसे आम जनता के लिए काम करना है, न्याय संगत कानून बना कर और सभी को बढने का समान अवसर प्रदान करके एक न्याय संगत सामाजिक व्यवस्था करना राज्य का कार्य है| निरक्षरता, अभाव स्वयं के अधिकारों के ज्ञान की कमी और भ्रष्टाचार जैसे कई कारको के कारण वंचित समूह औपचारिक कानूनी प्रणाली से अनभिज्ञ और अदृश्य रहते है और इसलिए उनके जीवन को प्रभावित करने वाली वास्तविक असमानताओं को सहन करते रहते है|

संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, भारत के लोगों ने खुद को एक संविधान दिया है जो भारत को एक संप्रभु ,समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य बनता है जो एक सभी नागरिक को न्याय– सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति विचार अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करता है|विश्वास और अवसर की समानता और उनमे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रा की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली सभी स्थितियों को बढावा देता है|

संविधान के अनुच्छेद 39a में प्रावधान है की राज्य यह सुनिश्चित करेगा की कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढावा देता है और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा| आर्थिक और अन्य किसी कमजोरी के आधार पर किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जा सकता |सभी को समान न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार जरुरतमंदों को मुफ्त क़ानूनी सहायता प्रदान करती है|

कानूनी सहायता का अर्थ: उन गरीबों और जरुरतमंदो को मुफ्त क़ानूनी सेवाएं देना है जो किसी मामले के संचालन के लिए या किसी अदालत, न्यायाधिकरण या किसी प्राधिकरण के समक्ष क़ानूनी कार्यवाही के लिए वकील की सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकते है|

42वा संविधान (संशोधन)1976: भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व art(36–51)तक दिए गए है जिसमे अनुच्छेद 39a समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता को 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है,तथा एक नया निर्देश गरीबो और विशेष श्रेणियों को मुफ्त क़ानूनी सहायता प्रदान करने और सभी को सामान न्याय सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपयुक्त कदम उठाने के लिए राज्य को

शामिल करने के लिए जोडा गया है|

अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21(1)भी राज्य के लिए क़ानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानून व्यवस्था सुनिश्चित करता है|

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39a के अनुसरण में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया है यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम क़ानूनी सेवाएं प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने की लिए है कि वे आर्थिक और अन्य अक्षमताओं के कारण इससे वंचित नहीं है इसमें समान अवसर के आधार पर त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की द्रष्टि से लोक अदालत के आयोजन की परिकल्पना की गयी है| आंध्र प्रदेश राज्य पूरे देश में क़ानूनी सहायता और लोक अदालत को लागू करने में अग्रणी है केस : सेंटर ऑफ़ लीगल रिसर्च बनाम केरल राज्य

उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि क़ानूनी सहायता कार्यक्रमों में लगे स्वैच्छिक संगठनों और सामाजिक कार्य समूहों को राज्य द्वारा प्रोत्साहित और समर्थित किया जाना चाहिए|

क़ानूनी सहायता न्याय प्रशासन का एक अनिवार्य हिस्सा है, सभी के लिए न्याय तक पहुँच विधिक सेवा प्राधिकरण का आदर्श वाक्य है |लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गो, विशेष रूप से गरीबों, दलितों सामाजिक रूप से पिछडी महिलाओं, बच्चो ,विकलांगो आदि को न्याय दिलाना है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाये जाने की आवश्यकता है कि कोई भी व्यक्ति धन की कमी या ज्ञान की कमी के कारण न्याय मांगने के अवसर से वंचित न रहे|

विधिक जागरूकता(legal awareness): विधिक जागरूकता अथवा विधिक साक्षरता से आशय जनता को कानून से सम्बंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तीकरण करना है| विधिक जागरूकता से विधिक संस्कृति को बढावा मिलता है क़ानून के निर्माण में लोगों की भागीदारी बदती है और कानून के शासन की स्थापना की दशा में प्रगति होती है|

विधिक साक्षरता (जागरूकता) को बढावा देने के लिए अपनाये गए तरीके: ऐसे कई मामले सामने आये हैं जहाँ सरकारों ने लम्बी अवधि के क़ानूनी (विधिक) साक्षरता मिशन या जागरूकता अभियानों को बढावा दिया है| निम्नलिखित तरीके है जैसे --

1 – रोड शो

2 -रेडियो वार्ता

3-नुक्कड़ और थियेटर नाटक

4- प्रासंगिक पुस्तिके

5-पत्रिकाए

6-पोस्टर और चार्ट का प्रकाशन जो विशेष कानून से सम्बंधित हो, आदि

विधिक साक्षरता की आवश्यकता और महत्व: अशिक्षित लोगों को विधि का ज्ञान न होने के कारण यह पता नहीं था कि विधिक सहायता किस तरह से प्राप्त की जाये, जिसके कारण गरीब व अशिक्षित लोगो को न्याय न प्राप्त होने के कारण अपना समस्त जीवन जेल में ही व्यतीत करना पड़ता था| वर्तमान समय में भी भारत में ऐसे अनेक व्यक्ति है जिन्हें आज भी पढ़ना लिखना नहीं आता है अंतः ऐसे व्यक्ति आज भी भारत में विधिक साक्षरता से वंचित है, भारत में प्राचीन काल में गरीब और अशिक्षित लोग अपनी दुर्बलता और अक्षमता के कारण न्याय पाने के अवसर से वंचित रहे जाते थे तथा उन तक ये सेवाएं कैसे पहुंचाये जाये?

क़ानूनी साक्षरता कानून के हर वर्ग को जानने के बारे में नहीं है बल्कि कानून और उसकी भावना का आधार है कानून के ऐसे मूल सिद्धांतों को जानने के लिए भी साक्षरता प्रमुख आवश्यकता है| सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फ़ैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष **09 नवम्बर** को राष्ट्रीय क़ानूनी सेवा दिवस (NLSD)मनाया जाता हैं|

निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया है- code of civil procedure 1908 का आदेश 33 नियम 17 स्पष्ट करता है कि गरीबों को मुफ्त क़ानूनी सहायता प्रदान की जाएगी| **''अटॉर्नी जरनल रावर्ट केनेडी ने मई 1964 में कहा था कि गरीब आदमी कानून को दुश्मन के रूप में देखता है दोस्त के रूप में नहीं है |,,**

provision relating to legal aid under criminal procedure code 1973 के अध्याय 24 में धारा 303 व 304 में इसके बारे में बताया गया है| **उस व्यक्ति का बचाव करने का अधिकार जिसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गए है धारा(303) :** जो व्यक्ति आपराधिक न्यायालय के समक्ष अपराध के लिए अभियुक्त था जिसके विरुद्ध इस सहिंता के अधीन कार्यवाही संस्थित की गई है उसका यह अधिकार होगा कि, उसके पसंद के प्लीडर द्वारा उसका बचाव किया जाये|

case टी. सी. मथाई व् इ अन्य बनाम जिला एवम् सत्र न्यायाधीश निरूअनन्तपुरम, इस वाद में बताया गया है कि मुख्तारनामा प्राप्त कोई भी अभिकर्ता, जिसे न्यायालय द्वारा प्राधिकृत नहीं

किया है| प्लीडर नहीं हो सकता ऐसा अभिकर्ता आपराधिक न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के लिए उपस्थित नहीं हो सकता हैं|

.**कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता धारा (304):** जब सेशन न्यायालय के समक्ष किसी विचारण में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा किया जाता है और जहाँ न्यायालय को यह प्रतीत होता है की अभियुक्त के पास प्लीडर को नियुक्त करने का कोई पर्याप्त साधन नहीं है वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य व्यय पर **न्यायाधीश पी. एन. भगवती रिपोर्ट (1971):** इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है की कानून का शासन तब तक नहीं हो सकता है, जब तक कि आम जनता इस तथ्य के बावजूद की वह अमीर है या गरीब, कानून द्वारा उसे दिए गये अधिकारों पर जोर देने और उसकी पुष्टि करने में सक्षम नहीं हैं कानून की सहायता सब के लिए आसानी से सुलभ होनी चाहिए| पर्याप्त क़ानूनी सेवा कार्यक्रम के माध्यम से गरीबो को अमीरों के समान होना चाहिए, इसमें कहा गया है की न्याय प्रशासन में अमीर और गरीब के बीच की असमानता को क़ानूनी सहायता कार्यक्रम की प्रभावी प्रणाली स्थापित और विकसित करके दूर किया जा सकता है **क़ानूनी सहायता और सलाह को दान के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में माना जाना चाहिए|**

क़ानूनी सहायता के बारे में जागरूकता की कमी: जस्टिस ललित ने यह कहा कि क़ानूनी सेवाओं के अधिकारियों द्वारा निपटाए जाने वाले मामलो में कमी का कारण विधिक जागरूकता है अधिक मामलो को कम करने की लिए जस्टिस ललित ने एक सुझाव दिया है कि प्रत्येक एफ.आई.आर. के निकटतम क़ानूनी सहायता सेवा क्लीनिक का विवरण होना चाहिए|

नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने वाले विधिक सेवा संस्थान :

1- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण |**
2- **राज्य स्तर पर-(राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) |**
3- **जिला स्तर पर –(जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)|**
4- **तालुका स्तर पर -तालुका विधिक समिति |**
5- **उच्च न्यायालय-उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण |**
6- **सर्वोच्च न्यायालय – सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण |**

case -एम. एच. होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य

इस वाद में बताया गया है कि प्रत्येक वादियों को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधिक सहायता पाने का मूल अधिकार है जिससे इनको वंचित नहीं क्या जा जायेगा |

Latin word; Audi alteram partem –" Listen to other side" or let the other side be heard as well ".

हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य पटना इस वाद में बिहार राज्य ने न्याय वितरण प्रणाली की खराब स्थिति को उजागर किया| ऐसे बहुत से विचाराधीन कैदी थे, जिन्हें जबरन जेलों में डाला दिया गया था और उन्हें इससे भी अधिक सजा दी गए थी, जिनके वे हक़दार नहीं थे इन सभी देरी के पीछे एक मात्र कारण दोषी व्यक्ति द्वारा अपने बचाव के लिए एक वकील को नियुक्त करने में असमर्थता थी| न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने कहा कि निशुल्क विधिक सेवा का अधिकार किसी भी अपराध के आरोपी के लिए उचित निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह अनुच्छेद 39a द्वारा गारंटीकृत है और यह अनुच्छेद 21 में निहित हैं|

क़ानूनी सहायता के लाभ: क़ानूनी सहायता के लाभ निम्नलिखित है-

1- अपराध के स्तर में गिरावट आयी है|

2- क़ानूनी सहायता निर्धन एवं कमजोर लोगों के लिए वरदान साबित हुए हैं|

3- जागरूकता बढ़ेगी|

4- अधिक समय व धन के व्यय में कमी आयेगी|

5- त्वरित सुनवाई होगी|

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY(1987)-निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की गयी, जिसे NALSA 1987 कहा जाता हैं जिसके अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गो को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों को सौहध्द्रपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता हैं और भारत का द्रितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता हैं|

विधिक सेवा शिविर क्या हैं? इस हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर जन सामान्य में जागरूकता लायी जा रही है ताकि न्याय तंत्र का उपयोग केवल धनी और सशक्त व्यक्ति तक ही सीमित न रहे जाये और न्याय व्यवस्था आम आदमी को भी सुलभ हो, यही विधिक सेवा प्राधिकरण का ध्येय एवं संकल्प है|

न्याय बंधु कार्यक्रम के माध्यम से निशुल्क क़ानूनी सहायता एवं सलाह: न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज)की प्राथमिक पहल देश भर में प्रो बोनो क़ानूनी सेवाओं के वितरण के लिए एक रुप रेखा

स्थापित करना हैं | न्याय बंधु के तहत स्वेच्छा से अपने समय और अपने सेवाएं देने में रूचि रखने वाले पेशेवर वकील, मोबाइल प्रौधोगिकी के माध्यम से ,हाशिए पर रहने वाले पात्र लाभार्थियों से जुड़े हुए है| न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन (Android IOS)विकसित किया गया हैं और इसे तकनीकी भागीदार CSC,ई-गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उमंग प्लेटफॉर्म पर भी जोड़ दिया गया हैं|

क़ानूनी (विधिक) सहायता एवं साक्षरता के लिए सरकारी योजनाये: निम्नलिखित सरकारी योजनायें हैं-

1- मजिस्ट्रेट न्यायालय में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना 2001
2- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 1987
3- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लीगल -एड- क्लीनिक्स)विनियम 2011
4- क़ानूनी साक्षरता और क़ानूनी जागरूकता कार्यक्रम योजना 2012
5- नालसा(तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितो के लिए विधिक सेवाएं)योजना 2015

संदर्भ सूची

1 डॉ0 जय नारायण पाण्डेय भारत का संविधान सेन्ट्रल ला एजेंसी 50वां संस्करण 2017
2 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 393 में यह प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिको को समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो
3 अनुच्छेद 39a 42वां संविधान संशोधन 1976 -
4 सेंटर ऑफ़ लीगल रिसर्च बनाम केरल राज्य AIR 1986 SC 1322 -
5 hi.m. Wikipedia
6 Wikipedia
7 Drishtiias.com
8 सी.पी.सी. 1908 आदेश 33 नियम 17
9 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 303.304
10 टी. सी. मथाई व् इ अन्य बनाम जिला एवम् सत्र न्यायाधीश निरुअनन्तपुरम AIR 1999 SC 1385
11 Hindi,livelaw.in
12 एम. एच. होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य 1978 AIR 1548 SCR 192
13 हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य पटना 1979 AIR 13691979 SCR (3)532
14 Wikipedia.com
15 pib.gov.in

यूसुफ खां
बी.ए,एल.एल.बी,एल.एल.एम